रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No.D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1980/वैशाख 27, 1902
No. 85] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1980/VAISAKHA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1980

संकल्प

फा. सं. 135/3/80-सा. नि. 2 .—भारत सरकार ने, 1978 में सरकारी खाते में रखे सोने को नीलामी के द्वारा बेचने से संबंधित नीति तथा कार्यविधि के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री के. आर. पुरी को नियुक्त करने का निर्णय किया है, जो अपनी जांच के परिणामों को ध्यान में रखते हुए आगे अपनायी जाने वाली कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देंगे ।

निदेश-पद निम्नानुसार होंगे :—

1. इस बात की जांच करना कि तत्कालीन सरकार ने सरकारी खाते में रखे सोने के एक भाग को बेचने के लिए जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिया था, वह सार्वजनिक हित में था अथवा नहीं और यह निर्णय ठोस आर्थिक तथ्यों पर आधारित था अथवा नहीं ;

2. इस बात की जांच करना कि सोने की बिक्री के लिए तैयार की गयी नीति/कार्य विधियां सार्वजनिक हित को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान करती थी अथवा नहीं और यह कि निर्धारित कार्य-विधियों का विभिन्न चरणों में पालन किया गया था अथवा नहीं ;

3. इस संबंध में जांच करके सरकार को सलाह देना कि प्रथम दृष्टया सोने की बिक्री में किस अवस्था में कोई गलती हुई थी अथवा नहीं और यदि हुई थी, तो आगे के लिए इस संबंध में उपयुक्त समझी जाने वाली कार्य-पद्धति की सिफारिश करना ;

4. इस बात की जांच करके सरकार को सलाह देना कि क्या प्रथम दृष्टया कुछ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग किये जाने का मामला बनता है और विशेष रूप से इस बात की जांच करना कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों ने ही सोने को समेट कर रख लिया है और यदि ऐसा हो तो आगे की कार्रवाई के संबंध में सिफारिश करना ; और

5. उपर्युक्त जांच के प्रयोजनार्थ यदि कोई अन्य संगत मामले हैं तो उनकी भी जांच करना ।

जांच के प्रयोजनार्थ, श्री के. आर. पुरी, लोकसभा में बहस के दौरान उठाये गये मुद्दों को ध्यान में रख सकते हैं और सरकार से सभी संगत जानकारी भी हासिल कर सकते हैं । वित्त मंत्रालय इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और टकसाल मास्टर के कार्यालय से जब भी उन्हें जिस किसी फाईल की जरूरत पड़े वे ले सकते हैं । वे, इन

संगठन में कार्य करने वाले संबंधित अधिकारियों, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों आदि की भी जांच कर सकते हैं उनको सौंपी गयी जांच को सम्पन्न करने के लिए जो भी पद्धति उन्हें उपयुक्त और उपयोगी जान पड़े, उसे वे अपना सकते हैं ।

जांच कार्य के संचालन और उसे पूरा करने के लिए, सरकार, उन्हें, उनकी आवश्यकता अनुसार सहायक कर्मचारी तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करेगी ।

श्री के. आर. पुरी अपनी रिपोर्ट 1 सितम्बर, 1980 से पूर्व प्रस्तुत करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित संगठनों को भेज दी जाए और सामान्य सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

एम. वी. एन. राव, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th May, 1980

F. No. 135/3/80-GC.II.—The Government of India have decided to appoint Shri K. R. Puri to examine the various policy and procedural aspects relating to the sale by auctions in 1978 of gold held on Government account and to advise the Government as to the further course of action to be taken in the light of his findings.

The terms of reference will be as under :—

(i) to examine whether the policy decision of the then Government to offer for sale a part of the gold held on Government account was in the public interest and was based on sound economic considerations;

(ii) to examine whether the policy/procedures evolved for the sale of gold were such as to adequately safeguard the public interest and whether the procedures laid down were observed at different stages;

(iii) to examine and advise the Government whether *prima-facie* any impropriety had been committed at any stage in the sale of gold and, if so, to recommend such further action as may be considered appropriate;

(iv) to examine and advise the Government whether *prima-facie* the scheme had been abused by some interested persons and in particular whether there was any cornering of gold by any individual or groups of individuals directly or indirectly and, if so, to recommend the course of action to be adopted; and

(v) also to examine such other matters as may be relevant for the purposes of the above enquiry.

For the purposes of the enquiry, Shri K. R. Puri may take into account the points raised during the discussions in the Lok Sabha and may also call for all relevant information from the Government. The relevant files in the Ministry of Finance, its attached and subordinate offices, Reserve Bank of India and the office of the Mint Master will be made available to him as and when needed. He may also examine the officers concerned in these organisations, representatives from the trade, etc. It is open to him to adopt such procedure as, in his opinion, will be appropriate and useful for the purposes of completing the enquiry entrusted to him.

The Government will provide supporting staff and other facilities as may be considered necessary by him for the purposes of conducting and completing the enquiry.

Shri K. R. Puri will please submit his report before the 1st September, 1980.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

M. V. N. RAO, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.